



ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया से वापस जा रहे हैं यात्रियों के लिए बायोसिक्योरिटी से सम्बन्धित जानकारी

ऑस्ट्रेलिया के बायोसिक्योरिटी कानून सख्त हैं। यह ऑस्ट्रेलिया की कृषि तथा अनूठे पर्यावरण एवं वन्यजीवों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए है।

इससे पहले कि आप ऑस्ट्रेलिया में आगमन करें

अपना घोषणा-पत्र (डिक्लरेशन) पूरा करें। कानून के अनुसार, आपको कुछ खाद्य-पदार्थ, पौधों से जुड़ी सामग्री और पशु उत्पादों सहित किसी भी जोखिम वाली वस्तु की घोषणा करनी होगी। इसमें ऐसी वस्तुएँ शामिल हैं जिन्हें व्यावसायिक तौर पर तैयार और पैक किया जाता है, साथ ही इसमें घर पर बनाई गई चीजें, ताजा, सूखी, पकायी हुई, कच्ची या फ्रीज़ की हुई, या स्नैक्स (अल्पाहार) और खाना पकाने के लिए सामग्रियाँ भी शामिल हैं, भले ही ये कम मात्राओं में भी हों तो भी।

विमान या जहाज से खाद्य-पदार्थों को बाहर न ले जाएँ।

आपके ऑस्ट्रेलिया आगमन करने पर

- इमीग्रेशन क्लियरेंस पर जाएँ।
- अपना सामान कलेक्ट करें।
- बायोसिक्योरिटी निरीक्षण के स्थान पर जाएँ और अपने घोषणा-पत्र को और जिन सामानों की घोषणा आप बायोसिक्योरिटी अधिकारी को करने जा रहे हैं, उसे अधिकारी को दिखाएँ।
- आपके बैग की जांच बायोसिक्योरिटी अधिकारी, डिटेक्टर डॉग या एक्स-रे द्वारा की जा सकती है, भले ही आप किसी भी सामान की घोषणा न करें तो भी।

यदि आप जोखिम वाले सामान की घोषणा नहीं करते हैं तो क्या होता है

यदि आप बायोसिक्योरिटी अधिकारी को या अपने घोषणा-पत्र पर झूठी या भ्रामक जानकारी प्रदान करते हैं, या यदि आप अपने सामान के बारे में सवालों के जवाब देने या बायोसिक्योरिटी अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में विफल रहते हैं, तो आपके साथ निम्नलिखित किया जा सकता है:

- उल्लंघन नोटिस दिया जाना
- नागरिक दंड कार्यवाहियाँ किए जाना, और/या
- आपराधिक जुर्म के लिए मुकदमा चलाया जाना।

आपका वीज़ा भी रद्द किया जा सकता है और यदि ऐसा किया जाता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में वापस आने से मना कर दिया जाएगा और आप तीन साल तक ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं आ पाएंगे।

यदि आप सभी वस्तुओं की घोषणा करते हैं और उन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो आपको बायोसिक्योरिटी अधिनियम 2015 के तहत दंडित नहीं किया जाएगा, भले ही उन वस्तुओं को ऑस्ट्रेलिया लाने की अनुमति न हो।

आपके द्वारा घोषित किए गए सामान के साथ क्या होता है

एक बायोसिक्योरिटी अधिकारी आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सामान का निरीक्षण करेगा तथा वह आपसे और अधिक जानकारी या दस्तावेज मांग सकता है।

यदि उस सामान को लाए जाने की अनुमति है और वह सामान निरीक्षण की कसौटी पर खरा उतरता है तो उसे आपको वापस कर दिया जाएगा। यदि सामान निरीक्षण की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तो आपको उस सामान को संसाधित किए जाने, ऑस्ट्रेलिया से निर्यात किए जाने या उसे नष्ट किए जाने के लिए भुगतान करना पड़ सकता है। बायोसिक्योरिटी अधिकारी आपको इसकी सलाह देंगे।

यह जांच कैसे करें कि क्या सामान ऑस्ट्रेलिया में लाया जा सकता है

agriculture.gov.au/bringing-goods पर जाएँ।

आयात संबंधी विशिष्ट शर्तों या दस्तावेज़ीकरण आवश्यकताओं के लिए, agriculture.gov.au/bicon पर बायोसिक्योरिटी इम्पोर्ट कंडीशनस सिस्टम (BICON) पर जाएँ। यदि आपको आयात परमिट की आवश्यकता है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया में सामान लाने से पहले इसके लिए आवेदन करना होगा और इसे प्राप्त करना होगा।

यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो खाद्य-पदार्थ, पौधों से सम्बन्धित सामग्री और पशु उत्पादों को न लाएं।

और अधिक जानकारी के लिए, **1800 900 090** पर फोन करें या imports@aff.gov.au पर ईमेल करें।



और अधिक जानने के लिए स्कैन करें

आपको कुछ निश्चित प्रकार के खाद्य-पदार्थ, पौधों से सम्बन्धित सामग्री और पशु उत्पादों की घोषणा करनी होगी। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं, लेकिन याद रखें कि यदि आप निश्चित नहीं हैं, तो बस इसे घोषित कर दें!

डेयरी और अंडा उत्पाद

- इन्फैंट फ़ॉर्मूला
- पनीर, दूध और दही
- संपूर्ण, सूखे और पाउडरयुक्त अंडे
- मेयनेज़
- नूडल्स और पास्ता

पेड़-पौधों से सम्बन्धित चीज़ें

- जीवित पौधे
- बीज, बल्ब और पौधों की छाँट (कटिंग)
- ताजे और सूखे फूल
- शिल्प-कला सामग्री और आभूषण
- लकड़ी के सामान
- छाल, पत्तियां और घास-फूस

खाद्य पदार्थ (फ़ूड)

- विमान या जहाज में मिला भोजन
- कच्चा और पका हुआ भोजन और सामग्री
- चावल
- घर पर बनाया गया या व्यावसायिक रूप से पैक किया गया भोजन
- शहद
- जड़ी बूटियाँ और मसालों, हर्बल चाय और दवाओं सहित
- स्नैक्स (अल्पाहार)
- सैंडविच, रैप्स, रोल और बर्गर

फल और सब्जियां

- ताजे, फ्रीज़ किए हुए, संरक्षित और सूखे

मांस, पोल्ट्री और सीफूड उत्पाद

- ताजे, सूखे, फ्रीज़ किए हुए, पकाए गए, स्मोकड, नमकयुक्त और संरक्षित किए गए

जानवरों के लिए भोजन और उपकरण

- पालतू पशुओं का भोजन और उनके लिए सनैक्स
- दवाई
- सैडल (काठी)
- पशु-चिकित्सा, पशु-सौंदर्य, पशुओं के बाल काटने और मधुमक्खी पालन से जुड़े उपकरण

जीवित पशु और पशु उत्पाद

- अंडे और घोंसले
- पंख, हड्डियां, सींग, खाल, जानवरों के फर और बाल
- स्ट्रड्ड एनिमल और बर्ड्स
- सीपियाँ और मूंगा
- मधुमोम और अन्य मधुमक्खी उत्पाद

नट, बीज, सेम और अनाज

आउटडोर, शिविर (कैंपिंग) और खेल उपकरण और जूते

- हाइकिंग बूट्स
- मछली पकड़ने के उपकरण
- कोई भी ऐसी चीज़ जो मिट्टी, बीज, जानवर या मल पदार्थ, या फ़ेशवॉटर से दूषित हुई हो सकती है

यदि आपके आगमन करने के बाद आपको बाँयोसिक्योरिटी जोखिम का पता चलता है तो क्या करें

यदि आपको अपना सामान अनपैक करते समय जीवित जानवर, कीड़े, मिट्टी, पौधों से सम्बन्धित सामग्री या अन्य जोखिम वाली वस्तुएं मिलती हैं, तो **1800 798 636** पर फोन करें। आपको दंडित नहीं किया जाएगा।

अन्य सामान

निम्नलिखित सामान बाँयोसिक्योरिटी जोखिम नहीं हैं:

- मादक पेय और सिगरेट
- इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (लैपटॉप, टैबलेट, फोन और कैमरा सहित)
- मूल्यवान वस्तुएं (आभूषण, घड़ियां और मुद्रा सहित)।

इन आयातों को गृह मामलों के विभाग (Department of Home Affairs) द्वारा विनियमित किया जाता है और इससे पहले कि वे इस सामान को निकलने दें, उन्हें इनका निरीक्षण करने और उन्हें क्लीयर करने की आवश्यकता हो सकती है। सीमा (बॉर्डर) और इम्पोर्ट ड्यूटी एंड टैक्स (आयात शुल्क और करों) के माध्यम से इन सामानों को क्लीयर करने (निकालने) के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, homeaffairs.gov.au पर जाएं।

ओवर-द-काउंटर या प्रिस्क्रिप्शन से मिलने वाली दवाओं और अन्य चिकित्सीय सामानों के लिए, tga.gov.au पर चिकित्सीय सामान प्रशासन (Therapeutic Goods Administration) से जांच करें।

शार्क फिन, सांप के चमड़े, हाथी दांत, कछुए के खोल और दुर्लभ ऑर्किड सहित वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES) के तहत सूचीबद्ध पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संचलन के बारे में जानकारी के लिए, dceew.gov.au/environment/wildlife-trade/non-commercial पर जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, पर्यावरण और जल विभाग (Department of Climate Change, Energy, the Environment and Water) से जांच करें।



फ़ोन: 1800 900 090 या
+61 3 8318 6700 (ऑस्ट्रेलिया के बाहर से)

© ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रमंडल 2024। इस तथ्य पत्रक में शामिल जानकारी प्रिंट किए जाने के समय सही है। बाँयोसिक्योरिटी से जुड़ी आयात की शर्तें बिना सूचना के बदल सकती हैं।



agriculture.gov.au/travelling

फ़ेसबुक: Australian Biosecurity

इंस्टाग्राम: @australianbiosecurity